न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 63/2019 दिनांकः— 01.07.2019

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. प्रकाशी पत्नि प्यारेलाल मीना निवासी साकरवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(वादीया)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र घमण्डी
2. शेरसिंह पुत्र घमण्डी
3. धर्मेन्द्र पुत्र धमण्डी नाबालिग जरिये सरंक्षक अंगूरी देवी पत्नि प्यारेलाल
4. अंगूरी देवी पत्नि घमण्डी
   समस्त जाति माली निवासी देवपाडा टोडाभीम
5. सज्जो देवी पत्नि बृजमोहन मीना निवासी रंगलाल का पुरा टोडाभीम।
6. भागीरथ सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह
7. नरपत सिंह पुत्र त्रिलोकसिंह
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53
उपस्थितिः— श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादीया
श्री राजकुमार सिंह राजावत प्रतिवादी न0 1 ता 4
श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी न0 6 व 7

निर्णय दिनांक 28.05.2025

वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भूडा स्थित आराजी ख0न0 342/1.54, 343/0.27, 344/0.50 है0 मे वादीया 75/462 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से पर प्रतिवादीगण सहखातेदार है। वर्णित भूमि रिकार्ड जमाबन्दी मे सयुक्त हिस्सा दर्ज है। जिससे वादीया को भूमि की डोलमेड पर विवाद बना रहता है। तथा परेशानी होती है। वादीया ने दिनांक 21.06.2019 को प्रतिवादीगण सहखातेदारान से इस आराजी का अलग—अलग खाता कायम कराने को कहा तो इन्कार हो गये इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी न0 1 ता 8 बावत डिवीजन ऑफ होल्डिंग डिक्री किया जावे कि ग्राम भूडा की आराजी ख0न0 342/1.54, 343/0.27, 344/0.50 है0 मे वादीया की खातेदारी व कब्जे की हिस्सेअनुसार अलग खाता कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रति[illegible] किया। प्रतिवादी न0 4 व 9 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से इनके विरूद्ध [illegible] कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न0 1 ता 4 ने जरिये वकालतन जबाब पे[illegible] दिनांक 02.10.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बट[illegible] स्कीम तलब की जाकर [illegible] पत्रावली की गई। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्की[illegible] का उभयपक्ष वकील ने अ[illegible] कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम [illegible] मुताबिक रिकार्ड व क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

उभयपक्ष वकील वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम भूडा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	प्रकाशी देवी पत्नि प्यारेलाल मीना सा. रंगलाल का पुरा टोडाभीम राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा टोडाभीम।	342/1 343/2 344/2	0.2567 है0 0.0480 है0 0.0703 है0
		कुल किता 3	कुल रकवा 0.3750 है0
2	भागीरथ सिंह, नृपत सिंह पि0 त्रिलोक सिंह हि.ब. जाति राजपूत सा.टोडाभीम खातेदार	343 344	0.08 0.1767
		कुल किता 2	कुल रकवा 0. 2567 है0
3	सज्जो देवी पत्नि बृजमोहन जाति मीना निवासी रंगलाल का पुरा टोडाभीम राहिन बी.आर.के.जी.बी. टोडाभीम	342	1.2833है0
4	ओमप्रकाश, शेरसिंह पि0 घमण्डी हि.ब. 2/5, अगूंरी देवी पत्नि घमण्डी हि.ब.2/5, नाबा. धर्मेन्द्र पुत्र घमण्डी हि0 1/5 जाति माली सा. टोडाभीम	343/1 344/1	0.1420 है0 0.2530 है0
		कुल किता 2	कुल रकवा 0.3950 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। वर्णित आराजीयात पर बैक रहन बदस्तूर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 28.05.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:36:10 IST
Reason: SelfAttested

(... मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली